स्पीड पोस्ट / ई–मेल **संख्या–6 / एफ1–05 / 2025 श्र0सं0–**

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

प्रेषक,

मनीष कुमार,
उप श्रमायुक्त।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर एवं मधुबनी ।
उप श्रमायुक्त, बेगूसराय / पूर्णियाँ / मुजफ्फरपुर एवं मुंगेर।
श्रम अधीक्षक, नवादा एवं शेखपुरा।

पटना, दिनांक -

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2025–26 में मुख्य शीर्ष–2230–श्रम, रोजगार और कौशल विकास उप मुख्य शीर्ष–01–श्रम–लघुशीर्ष–103–सामान्य श्रम कल्याण–मांग संख्या–26, उपशीर्ष–0103–बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढ़ीकरण (विपत्र कोड–26–2230011030103) एवं मुख्य शीर्ष–2230–श्रम, रोजगार और कौशल विकास उपमुख्य शीर्ष–01–श्रम– लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–उपशीर्ष–0104–बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढ़ीकरण (विपत्र कोड–26–2230017890104) के अन्तर्गत के अन्तर्गत CFMS2.0 Software से आवंटन निर्गत करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढ़ीकरण योजना अन्तर्गत CFMS2.0 Software से राशि आवंटित की गई है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

3. मांग संख्या-26–मुख्य शीर्ष–2230–श्रम, रोजगार और कौशल विकास–उपमुख्य शीर्ष–01–श्रम– लघु शीर्ष–103–सामान्य श्रम कल्याण- मांग संख्या-26 उपशीर्ष–0103–बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढ़ीकरण (विपत्र कोड–26–2230011030103) योजना के अन्तर्गत **सामान्य श्रेणी** के विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए रू 5,000 / - की दर से जिला बाल श्रमिक पुर्नवास सह कल्याण कोष में जमा कराने हेतु : -

क्र0 स0	विपत्रशीर्ष 37.01–अनुग्रह अनुदान	जिला का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	विमुक्त बाल श्रमिकों की संख्या	आवंटित राशि (रू0)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	37.01	मधुबनी	जिला पदाधिकारी मधुबनी	3	15000	श्रम अधीक्षक, मधुबनी का पत्रांक–220, दिनांक- 30.01.2026, पत्रांक–224, दिनांक -30.01.2026 एवं पत्रांक -316 दिनांक- 13.02.2026 के आलोक में।
2	37.01	मुजफ्फरपुर	जिला पदाधिकारी मुजफ्फरपुर	05	25000	उप श्रमायुक्त मुजफ्फरपुर का पत्रांक–468 दिनांक–13.02.2026 के आलोक में

4. माग संख्या–26- मुख्य शीर्ष--2230--श्रम, रोजगार और कौशल विकास–उपमुख्य शीर्ष- 01--श्रम– लघु शीर्ष–103- सामान्य श्रम कल्याण- माग संख्या–26 उपशीर्ष--0103–बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढ़ीकरण (विपत्र कोड–26–2230011030103) योजना के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए रू 3,000/–की दर से स्थायी अग्रिम से भुगतान करने के पश्चात प्रतिपूर्ति हेतु :–

क्र०सं०	कार्यालय का नाम	विमुक्त बाल श्रमिक की सं०	21--सामग्री और आपूर्ति			कुल योग (रू)	अभ्युक्ति (कार्यालय का पत्रांक एवं दिनांक)
			विषयशीर्ष सामग्री एवं पूर्ति (0103.21.01) से 2300/- राशन एवं 500/- वस्त्र प्रति बाल श्रमिक की दर से	विषयशीर्ष दवा भण्डार (0103.21.02) से विमुक्ति के समय दवा हेतु 100/ प्रति बाल श्रमिक की दर से	विषयशीर्ष आहार/पथ्य (0103.21.03) से विमुक्ति के समय भोजन/नास्ता हेतु–100/– प्रति बाल श्रमिक की दर से		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रम अधीक्षक, नवादा	02	5600	200	200	6000	श्रम अधीक्षक, नवादा पत्रांक–114,दिनांक–30.01.2026 के आलोक में।
3	उप श्रमायुक्त बेगूसराय	07	19600	700	700	21000	उप श्रमायुक्त बेगूसराय पत्रांक–159 दिनांक–29.01.2026 के आलोक में।
4	उप श्रमायुक्त, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णिया	32	89600	3200	3200	96000	उप श्रमायुक्त, पूर्णियाँ प्रमण्डल पूर्णियाँ पत्रांक- 185 दिनांक- 10.02.2026 के आलोक में।
5	उप श्रमायुक्त मुजफ्फरपुर	12	33600	1200	1200	36000	उप श्रमायुक्त,मुजफ्फरपुर पत्रांक- 460, दिनांक- 11.02.2026 के आलोक में।
6	उप श्रमायुक्त मुंगेर	23	64400	2300	2300	69000	उप श्रमायुक्त, मुंगेर पत्रांक--253, दिनांक–11.02.2026 के आलोक में।
7	श्रम अधीक्षक शेखपुरा	2	5600	200	200	6000	श्रम अधीक्षक, शेखपुरा पत्रांक–140, दिनांक–06.02.2026 एवं पत्रांक–166,दिनांक–12.02.2026 के आलोक में।

5. मांग संख्या–26–मुख्य शीर्ष–2230–श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष -01 -श्रम– लघु शीर्ष- 789 -अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना -उपशीर्ष--0104 -बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढ़ीकरण (विपत्र कोड–26–2230017890104) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए रू 5,000/–की दर से जिला बाल श्रमिक पुर्नवास सह कल्याण कोष में जमा कराने हेतु :–

क्र0 स0	विपत्रशीर्ष 37.01–अनुदान अनुदान	जिला का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	विमुक्त बाल श्रमिकों की संख्या	हस्तांतरित राशि(रु०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	37.01	मधुबनी	जिला पदाधिकारी, मधुबनी	02	10000	श्रम अधीक्षक मधुबनी का पत्रांक–220 दिनांक–30.01.2026 एवं पत्रांक–224 दिनांक 30.01.2026 के आलोक में।

6. मांग संख्या–26–मुख्य शीर्ष–2230–श्रम, रोजगार और कौशल विकास उपमुख्य शीर्ष–01–श्रम–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–उपशीर्ष–0104–बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढ़ीकरण (विपत्र कोड–26–2230017890104) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए रू 3,000/–की दर से स्थायी अग्रिम से भुगतान करने के पश्चात प्रतिपूर्ति हेतु :–

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	21–सामग्री और आपूर्ति					
		विमुक्त बाल श्रमिक की सं०	विपत्रशीर्ष सामग्री एवं आपूर्ति 0104.21.01 से 2300 – राशन एवं 500 – वस्त्र प्रति बाल श्रमिक की दर से	विपत्रशीर्ष छोटा मरम्मत 0104.21.02 से विमुक्ति के समय दवा हेतु–100 – प्रति बाल श्रमिक की दर से	विपत्रशीर्ष आहार व्यय 0104.21.03 से विमुक्ति के समय भोजन नाश्ता हेतु–100 – प्रति बाल श्रमिक की दर से	कुल मांग (रु०)	अभ्युक्ति (कार्यालय का पत्रांक एवं दिनांक)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उप श्रमायुक्त बेगूसराय	04	11200	400	400	12000	उप श्रमायुक्त, बेगूसराय पत्रांक 159 दिनांक–29.01.2026 के आलोक में।
2	उप श्रमायुक्त पूर्णियाँ प्रमण्डल पूर्णियाँ	01	2800	100	100	3000	उप श्रमायुक्त पूर्णियाँ प्रमण्डल पूर्णियाँ पत्रांक–185 दिनांक–10.02.2026 के आलोक में।
3	उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर	08	22400	800	800	24[illegible]	उप श्रमायुक्त मुजफ्फरपुर पत्रांक–460 दिनांक–11.02.2026 के आलोक में।
4	श्रम अधीक्षक शेखपुरा	03	8400	300	300	9000	श्रम अधीक्षक शेखपुरा पत्रांक 140 दिनांक–06.02.2026 एवं पत्रांक–166 दिनांक–12.02.2026 के आलोक में।

7. यह राशि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–2244 दिनांक–02.05.2025 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष–2025–26 में "बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढ़ीकरण योजना" अनुदान की राशि रू 3000/– (रू तीन हजार) की दर से स्थायी अग्रिम से भुगतान करने के पश्चात् प्रतिपूर्ति हेतु एवं रू 5000/–(रू पाँच हजार) मात्र, प्रति विमुक्त बाल श्रमिक की दर से की दर से जिला बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण कोष में जमा कराने हेतु आवंटित की गयी है।

8. अनुरोध है कि बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढ़ीकरण योजना के तहत जाँच पड़ताल करके राशि का भुगतान/जमा किया जाय। भुगतान/जमा के पश्चात् संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को ई–मेल/स्पीड पोस्ट द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

9. अनुरोध है कि यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक–256/वि0 दिनांक–26.02.19, पत्रांक–732/वि0 दिनांक–31.07.19 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक–2561/वि0(2), दिनांक–17.04.98 के आलोक में है।

10. अनुरोध है कि इस आवंटित राशि से, किसी भी परिस्थिति में, अधिक भुगतान/जमा नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक भुगतान/जमा किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।

11. अनुरोध है कि आवंटित राशि से हुए भुगतान/जमा की सूचना विहित प्रपत्र में आवश्यक टी0भी0 नं0 तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत निश्चित रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

12. अनुरोध है कि आवंटित राशि को नियमानुसार जाँच कर उन्हीं विमुक्त बाल श्रमिकों को उपलब्ध कराया जाय, जिन्हें पूर्व में इस हेतु लाभांवित नहीं किया गया हो।

13. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है ।

14. श्रमायुक्त, बिहार, का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन
ह0/–
(मनीष कुमार)
उप श्रमायुक्त।

ज्ञापांक: 6/एफ1–05/2025 श्र0सं0– 1135 पटना, दिनांक– 27/2/26

प्रतिलिपिः– सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित कोषागार तथा उप कोषागार पदाधिकारी/ वरीय प्रभारी प्रशाखा–01 (श्रम पक्ष)/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित सहायक श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ एवं आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

2. संबंधित उप श्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त एवं श्रम अधीक्षक से अनुरोध है कि वे संबंधित जिला पदाधिकारी से अविलम्ब सम्पर्क स्थापित कर आवंटित किये गये राशि के विरूद्ध नियमानुसार शत प्रतिशत व्यय करने हेतु अनुरोध करेंगे एवं कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने की कृपा करेंगे।

विश्वासभाजन
Signed by Manish Kumar
Date: 26-02-2026 16:23:10
(मनीष कुमार)
उप श्रमायुक्त।